



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2298 / 2026

नेहा कुमारी एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता

: धीरेंद्र कुमार सिंह, रजनीश मौर्य
: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस (सूचना) देने से छूट दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को परमादेश (मैंडेमस) रिट जारी करने के लिए मांग की गई है, जिससे वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न न करें।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने दिनांक 26.02.2026 को आर्य समाज असेनी, बाराबंकी में अपनी मर्जी से विवाह किया है। विवाह प्रमाण-पत्र की एक प्रति इस याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 1 के तौर पर संलग्न की गई है। याचिकाकर्ताओं के वयस्क होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपना आधार कार्ड लगाया है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10.06.2006 है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र की प्रति दाखिल की है, जिससे पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में, जो कि शपथ-पत्र द्वारा विधिवत समर्थित है, यह बताया है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं।
5. यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 विवाह से खुश नहीं है और इसलिए वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
6. इस सम्बन्ध में, **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2006 (5) एससीसी 475** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-17 में इस प्रकार टिप्पणी की है :-

"17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है तथा एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिससे चाहे विवाह कर सकता है। अगर लड़के या लड़की के माता-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं, तो वे ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या भड़का नहीं सकते तथा ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह देखें कि अगर कोई लड़का या लड़की जो वयस्क है, किसी वयस्क महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो उस जोड़े को कोई परेशान न करे, न ही धमकी दे या हिंसा करे तथा जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या परेशान करता है या खुद या उसके उकसाने पर हिंसा करता है, उसके विरुद्ध पुलिस आपराधिक कार्यवाही संस्थित करेगी तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध विधि के तहत सख्त कार्रवाई की जाये।"

7. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा की भी गारंटी लगाई है, जो उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को निस्तारित, इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी, याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी तरह से दखल न दें।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर इस मामले पर पहले से कोई प्राथमिकी दर्ज है, तो इस न्यायालय का दिया गया आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा।
10. हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने न तो याचिकाकर्ताओं की उम्र पर विचार किया है और न ही कथित विवाह की सच्चाई/वैधता पर कोई निर्णय सुनाया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. याचिकाकर्ता आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017" के तहत अपना विवाह पंजीकृत करवा लें।
12. संबंधित निबंधक विवाह पंजीकरण को निर्देश दिया जाता है कि वे जल्द से जल्द विधि के अनुसार प्रक्रिया करके, याचिकाकर्ताओं को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करें।

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

17 मार्च, 2026

रीना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।